

विचार बिन्दु

अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। -महाभारत

Justice Delayed is Justice Denied

(न्याय में विलम्ब, न्याय नहीं मिलने के समान है)

संविधान लागू होने के बाद से न्याय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन आया है। सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भ में कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा गया था; किन्तु बाद में इसे कोर्ट ऑफ लॉ कहा गया है। संविधान के प्रियम्वल में यह घोषणा की गई है, कि देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त का अधिकार है और वह नागरिक का मूल अधिकार है साथ ही राज्य का कर्तव्य है कि न्याय सबको प्राप्त हो। न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित हो। विलम्ब से दिया गया न्याय, न्याय नहीं मिलने जैसा है। अनुच्छेद 21 हमें गरिमा मय जीने का अधिकार देता है। त्वरित न्याय प्राप्त करना व्यक्ति का मूल अधिकार है। देश के सभी न्यायालयों में लाखों मुकदमों निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। लोग न्याय की प्रतीक्षा में घुट-घुट कर मर रहे हैं। जेल भीड़ से भरें हैं न तो पर्याप्त न्यायालय हैं और न न्यायाधीश। न्यायालय व सरकार विलम्ब के दोषी हैं, मुक्ति की कोई राह नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50 Constitution Bench के केसेज संवैधानिक विषयों के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। यह भी सच है 1994 से अभी तक 2192 केसों का निस्तारण हो चुका है। कानून है, ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में रिट याचिका नहीं होगी। हाईकोर्ट का अपना ही फैसला है कि रिट नहीं होगी, किन्तु मर्यादा का उल्लंघन कर वही हाईकोर्ट रिट याचिका में स्टे देता है। कई मामले इस विषय के बाबत सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, किन्तु निर्णित नहीं होते और अनियमितता के केस बढ़ रहे हैं। जबकि त्वरित न्याय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने क्रिमिनल अपील नं. 812 में छलीसगढ़ हाईकोर्ट के विरुद्ध एक तीखी टिप्पणी की थी। आरोपी अपराध के लिये जेल में 9 वर्ष रहा जो इसने किया ही नहीं था। केस में कोई शहदाद नहीं थी केवल Last Seen की थ्योरी पर सजा दी गई है वह भी यह कह कर कि Last Seen की थ्योरी से जो Presumption कानून मानता है, अपराधी उसे Rebut नहीं कर पाया है। केस में PW 1 की शहदाद थी कि मृतक की मृत्यु 5 PM को घर में हुई थी व अपराधी घर ही 7 PM को आया था। मृतक अपराधी की पत्नी थी। इस प्रकार Presumption को Discharge करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केस में दो गवाह थे वे दोनों की Hostile घोषित किये गये। कोर्ट ने कहा कि इस शहदाद का सर्वथा अभाव है कि मृतक व अपराधी दोनों 5 बजे शाम को साथ-साथ थे। माननीय न्यायालय ने माना न्यायालयों के पास समय नहीं है। जस्टिस ऑफ़ीका ने यह भी टिप्पणी की कि स्टेट Acquittal के विरुद्ध अपील फाईल कर देती है और इस कारण भी केस के निस्तारण में समय बर्बाद हो जाता है।

दिनांक 29 जुलाई 2024 के समाचार पत्र The Times of India के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पढ़ा। यह समाचार ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत देने के सम्बन्ध में था। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा था कि Trial Judges Play Safer by Not Granting Bail माननीय मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड ने कहा कि धीरे-धीरे संवैधानिक मूल्यों का तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty) का मूल्यकान घटता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों में केसेज की Pendency 35% बढ़ रही है। 62 लाख केसों से बढ़कर 46.8 लाख हो गये हैं। हाईकोर्ट्स में 2019 से 2023 तक यह Pendency 48.6 लाख से 62 लाख बढ़ गई है। नीचे की अदालतों में यह Pendency 4.4 करोड़ है। कानून मंत्री मेघवाल ने ये आंकड़े संसद में दिये हैं। इसके कारण भी बताये हैं। इन आंकड़ों से अंदाज लगाया जा सकता है कि न्यायालय विलम्ब के बोझ से दबे हुये हैं। इसका अर्थ है जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। यों भी न्याय बहुत महंगा है और विलम्ब तो इतना भी है कि पीढ़ी खत्म होने पर भी न्याय नहीं मिलता।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट आर एम लोन्डा ने राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली के दिनांक 04.08.2024 के समारोह में बढती संख्या के कारण त्वरित न्याय नहीं मिलने पर सलाह दी कि न्यायालय के द्वार 365 दिन खुलने चाहिये। विचार क्रान्तिकारी है। जब जलदाय विभाग और अस्पताल 365 दिन काम करते हैं तो न्याय का द्वार 24 घंटे खुला ही रहना चाहिये। तीन नये कानून देश में लागू किये गये हैं। ये हैं- सीआरपीसी, आईपीसी व एवीडेन्स एक्ट के नये रूप। इनमें भी विलम्ब के कोई सकारात्मक उपाय नहीं बताये गये हैं।

लेखक का अपना मत है प्रत्येक हाईकोर्ट को अपना स्वयं का Jurisprudence बनाना होगा। जमानत के मामलों में सीजेआई के स्पष्ट विचार उपरोक्त चरण में दिये गये हैं। जमानत देना व न देना कानून संचालित करता है; किन्तु सर्वपरी है मजिस्ट्रेट व जज का अपना विवेक। कुछ समय पूर्व Liberty में यह संशोधन हुआ था कि 7 वर्ष की सजा तक के केसेज में साधारण रूप से जमानत ली जा सकती है किन्तु लागू नहीं हुआ। सर्वमान सिद्धान्त है कि आरोपी को निर्दोष माना जावे और उसे स्वीकार किया जावे कि संविधान उसे Cr.P.C का अधिकार देता है। यदि मजिस्ट्रेट व जज का विवेक सही है तो अपील कोर्ट का आदेश भी उसे निरस्त कर सकता। वर्तमान में जमानत के प्रावधान (Non bailable Offences esa) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 में दिये गये हैं। जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में यह शंका है कि उसने Non bailable

हम डिजिटल युग में रह रहे हैं अतः गवाहों आरोपियों की तलबी में उसका प्रयोग होना चाहिये। क्रॉस एजामिनेशन में थोडा कठोर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोर्ट में बार व बैच का सम्बन्ध मधुर, सौहार्दपूर्ण हो तो काम सुलभ होगा। हाईकोर्ट में समय बहुत नष्ट होता है। कोर्ट के दो घंटे तो सर्विस, आदेश, आदि में समाप्त हो जाते हैं।

मजिस्ट्रेट का विवेक काम में आना चाहिये। जमानत लिये जाने से ट्रायल भी शीघ्र पूरी होगी। मजिस्ट्रेट को जमानत के बाद उचित शर्तें लगाने और साथ ही जमानत निरस्त करने का अधिकार भी है। इस प्रक्रिया से जेलों पर जो भार बड़ा होगा और जेलों की व्यवस्था भी सुधरेगी। माननीय सीजेआई के अनुसार हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि वे स्वयं जमानत के प्रावधानों की निश्चिन्ता से पालना करें और अधीनस्थ न्यायालयों में विश्वास का साहस भरें।

प्रत्येक कोर्ट को अपना प्रोसीजर कानून के दायरे में बनाना चाहिये। गवाहों के बुलाने और तारीख बदलने का काम अपने विवेक से चलाना चाहिये। मजिस्ट्रेट जमानत का काम एक घंटे में निपटा सकता है। फाईल पढकर आवे और जमानत का केस है तो मजिस्ट्रेट बिना सुने जमानत का आदेश पारित कर सकते हैं। जमानत के आदेश को तत्काल सुनाना चाहिये, उसको स्थगित करना उचित नहीं है।

हम डिजिटल युग में रह रहे हैं अतः गवाहों आरोपियों की तलबी में उसका प्रयोग होना चाहिये। क्रॉस एजामिनेशन में थोडा कठोर भी मजिस्ट्रेट हो सकता है। कोर्ट में बार व बैच का सम्बन्ध मधुर, सौहार्दपूर्ण हो तो काम सुलभ होगा।

हाईकोर्ट में समय बहुत नष्ट होता है। कोर्ट के दो घंटे तो सर्विस, आदेश, आदि में समाप्त हो जाते हैं। सर्विस व प्लीडिंग्स का कार्य Judicial Registrar को सौंप देना चाहिये। जिन केसेज में स्टे की मांग है जैसे रिटों के मामलों में, उनमें अधिकांश में Final Disposal का नोटिस भेजा जाना चाहिये ताकि Admission की स्टेज पर है केस निर्णित हो सके। प्रथम अपील को As of Right के आधार पर Admit करना चाहिये। Possession (कब्जे) का जहाँ तक प्रश्न है उसके समयपद्धत रूपान् आदेश दिया जाना चाहिये और फिर अपील का निर्णय। प्रत्येक केस में यह जानकारी फरीकों से पूछी जानी चाहिये कि क्या हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट का कोई केस इस पर लागू है उसके आधार पर (प्रसीडेंट के मामलों) केस का Disposal किया जा सकता है।

एम्सीडेंट क्लेम व कन्जुमर फॉरम के केसों में कम या ज्यादा मुआवजा कर केसों का निपटारा करना चाहिये। जहाँ तक संभव हो लोक अदालत की भावना से भी केस निर्णित किया जा सकता है। अपील केसों में फैसले में केवल आवश्यक तथ्यों को ही लिया जावे। प्ले को सीमित किया जावे। जहाँ अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) का प्रश्न है, उसे पहले निर्णित किया जावे किन्तु विकल्प में गुणदोष के आधार पर भी फैसला दिया जावे ताकि Remand पर विलम्ब से बचा जावे।

रिट ज्यूरीस्ट्रीकेशनल मामलों में कोर्ट बहस के लिये समय सीमा की बन्दिश लगा सकती है और दोनों पक्षों से यदि वे चाहें तो लिखित बहस देने का आदेश भी दे सकती है। निर्णय के लिये यदि अपने ही हाईकोर्ट का निर्णय है, अथवा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो तो अन्य नज्दों को फैसले में शामिल कर निर्णय को बोझिल न बनायें।

प्रयत्न करना चाहिये कि एक ही श्रेणी के केसों को शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जावे। उदाहरण के तौर पर टैक्स के मामले हैं। टैक्स के केसों में दो प्रकार के स्टे नहीं होने चाहिये। जैसे एक केस में टैक्स की पूरी रिकवरी पर रोक लगाई है और दूसरे केस में 50 प्रतिशत टैक्स जमा कराई जाने का आदेश हो।

पुराने पेन्डिंग केसों को सप्ताह के एक दिन लगाये जावें। इससे पूर्व रजिस्ट्री को पेन्डिंग केसों का Classification कराया जावे। कई केसेज ऐसे मिलेंगे, जिनका अधिप्राय ही समाप्त हो चुका है। फौजदारी केसों में अधिकांश केसों को Already Undergone सजा के आधार पर निर्णित किया जा सकता है। कई केसे ऐसे मिलेंगे, जो वस्तुतः सिविल नेचर के हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसों को 420 IPC या जालसाजी का केस बनाया गया है। उसका निस्तारण किया जा सकता है। सन् 1966 का एक Covenant nw International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 जिसमें निर्देश दिया है कि Civil Liability के कारण व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जा सकता। (Article 16: No one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation) का भाग है और कोर्ट में Enforceable है।

हाईकोर्ट का Writ Jurisdiction, Extraordinary Jurisdiction कहा जाता है, क्योंकि Ordinary Jurisdiction सिविल कोर्ट का है। प्रायः यह देखने में आया है कि हाईकोर्ट की कई बैच हाईकोर्ट का निर्णय 226 व 227 में सही भेद नहीं कर रही हैं। हाईकोर्ट का अनुच्छेद 227 के तहत जो अधिकार क्षेत्र है वह रिब्यू जैसा है। अनुच्छेद 227 स्पष्ट कहता है कि हाईकोर्ट को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अधीक्षण का अधिकार है और वह उन कोर्ट्स व ट्रिब्यूनल्स पर है जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

जिन केसेज पर सुप्रीम कोर्ट की नज्दारी सीधी लागू होती है, उसे केवल एक या दो पैरा के आदेश से निर्णित किया जा सकता है।

यहाँ लेखक ने कुछ सिद्धान्तों का ही उल्लेख किया है। ऐसे कई उपाय हैं, जिनसे केसेज को पेन्डेन्सी को रोकना जा सकता है, कम किया जा सकता है और जनता को त्वरित न्याय दिलाया जा सकता है।

न्याय सबको सस्ता, सुलभ व त्वरित प्राप्त हो।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द्र जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट



राजेन्द्र भागवत

आप शीर्षक पढ़कर चौंकिए मता आप सोच रहे होंगे कि उस विनेश फोगाट को सलाम क्यों किया जा रहा है जिसे वजन अधिक वजन होने के कारण ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। कहा जाता है कि पूरी रात, विनेश ने जाग कर विभिन्न प्रकार की कसरत करके, अपने स्टाफ को देखेख में अपना वजन लगभग 2.7 किलो घटाकर 50 किलो से कम करने का पूरा प्रयास किया। जब ओपचारिक रूप से इसका वजन 7 अगस्त को प्राप्त किया गया तो वह 100 ग्राम अधिक निकला। ओलंपिक नियमों के अनुसार उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उसके द्वारा जीती हुई तीन कुशतियां भी बेकार हो गईं। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध और दुःखी कर दिया। यह नियम विचित्र है, क्योंकि जिन तीन कुशतियों को उसने जीता वह नियमानुसार बिल्कुल सही थी और यदि फाइनल से पूर्व अयोग्य भी होती, तो उसे फाइनल खेलने से वंचित करके रजत पदक का हकदार माना जा सकता था। यह बात तो नियमों की हुई। अब सीएसए के यहाँ अपील कर दी गई है, उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि क्या विनेश को रजत पदक दिया जाएगा या नहीं? संभावना तो यही है कि उसे किसी प्रकार का कोई पदक नहीं मिलेगा।

भले ही, विनेश ने ओलंपिक पदक गवां दिया हो, किंतु वह एक जुझारू भारतीय महिला का चेहरा बनकर उभरी है। यह वही विनेश फोगाट है, जिसने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाकर, साथी पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ

सलाम- विनेश फोगाट!

जब उसका वजन लिया गया तो वह 50 किलो से 100 ग्राम अधिक निकला। फलस्वरूप उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए ही अयोग्य घोषित कर दिया।

कहा जाता है कि पूरी रात, विनेश ने जाग कर विभिन्न प्रकार की कसरत करके, अपने स्टाफ को देखेख में अपना वजन लगभग 2.7 किलो घटाकर 50 किलो से कम करने का पूरा प्रयास किया। जब ओपचारिक रूप से इसका वजन 7 अगस्त को प्राप्त किया गया तो वह 100 ग्राम अधिक निकला। ओलंपिक नियमों के अनुसार उसे पूरी प्रतियोगिता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और उसके द्वारा जीती हुई तीन कुशतियां भी बेकार हो गईं। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध और दुःखी कर दिया। यह नियम विचित्र है, क्योंकि जिन तीन कुशतियों को उसने जीता वह नियमानुसार बिल्कुल सही थी और यदि फाइनल से पूर्व अयोग्य भी होती, तो उसे फाइनल खेलने से वंचित करके रजत पदक का हकदार माना जा सकता था। यह बात तो नियमों की हुई। अब सीएसए के यहाँ अपील कर दी गई है, उसके फैसले पर निर्भर करेगा कि क्या विनेश को रजत पदक दिया जाएगा या नहीं? संभावना तो यही है कि उसे किसी प्रकार का कोई पदक नहीं मिलेगा।

भले ही, विनेश ने ओलंपिक पदक गवां दिया हो, किंतु वह एक जुझारू भारतीय महिला का चेहरा बनकर उभरी है। यह वही विनेश फोगाट है, जिसने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाकर, साथी पहलवानों बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ

दिल्ली की सड़कों पर 2023 में आंदोलन किया था। यह वही विनेश फोगाट है जिसे घरने से उठाने के लिए पुलिस द्वारा सड़कों पर घसीटा गया और उनके विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई। यह वही विनेश फोगाट है जिसे बृजभूषण शरण सिंह ने चुका हुआ कारतूस और खोटा सिक्का कहा था और यह भी कहा कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगा। ये सब दृश्य आज भी कर्मरों में कैद हैं। यदि और कोई महिला होती और वह विनेश फोगाट नहीं होती, तो कभी की दूट चुकी होती और सन्यास ले चुकी होती। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने तो थक-हार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सन्यास लेने की घोषणा भी कर दी। दुःखद आश्चर्य की बात है कि जब भारत के गौरव ये पहलवान, बृजभूषण सिंह के विरुद्ध आंदोलनरत थे तो प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस बारे में कुछ नहीं बोला, इन्हें मिलने के लिए बुलाना तो दूर की बात है। विनेश फोगाट कुछ सालों से 53 किलो ग्राम कुश्ती वर्ग में खेल रही थी किन्तु ओलंपिक में उसे 50 किलो ग्राम वर्ग में भेजा गया। इस हेतु उसे कई किलो वजन कम करना पड़ा। नई श्रेणी में प्रवेश के कारण उसे कोई सीडिंग नहीं मिली और उसका मुकाबला पहले ही राउंड में ओलंपिक विजेता पहलवान जापान की सासुकी से हुआ। इसके बावजूद सबको अचंभित करते हुए विनेश ने अपने दम पर जापान के पहलवान को 10 वर्षों में पहली बार हराया।

शायद, विनेश के फाइनल में प्रवेश से सत्ताधारी दल और सरकार बहुत प्रसन्न नहीं थे। अन्यथा, पहली बार भारतीय महिला पहलवान के ओलंपिक फाइनल

में पहुंचने पर प्रधानमंत्री द्वारा उसे बधाई और शुभकामना संदेश देने के लिए 6 अगस्त को कोई ट्वीट या फोन अवश्य किया जाता जैसा कि वे सामान्यतया करते रहे हैं। 7 अगस्त को, जब विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया तो प्रधानमंत्री ने उसके कसीदे पढ़े और उसे 'चैंपियन' का 'चैंपियन' बताया। यह बात भी आसानी से गले नहीं उतरती कि, क्या विनेश फोगाट, जो 2 किलो से अधिक वजन कम कर सकी, वह 100 ग्राम वजन और कम नहीं कर सकती थी? यह प्रश्न भी अभी तक अनुरित है कि क्या उसका वजन छई किलो कैसे बढ़ गया? उसके स्टाफ ने उसकी कोचिंग पर कोई निगरानी नहीं रखी, यह जानते हुए भी कि अगले दिन उसे फिर कुश्ती लड़नी पड़ेगी एवं उसके लिए सुबह फिर उसका वजन वजन, निर्धारित सीमा में रखने की जिम्मेदारी उसके कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर आदि की ही थी। आशंका यह है कि क्या यह सब वही चाहते थे कि विनेश को सबक सिखाया जाए ताकि जिनेश लड़की ने सिस्टम को चुनौती दी, वह सिस्टम से कहीं जीत न जाए? यही हुआ और उसके पूरे जुझारूपन के बावजूद सिस्टम उस पर हावी हो गया और अधिक वजन के कारण उसे अयोग्यता का शिकार होना पड़ा। अब जबकि विनेश ने कुश्ती से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है, वह भारतीय महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। उसे ओलंपिक पदक मिले ही न मिला हो, किंतु आज वह सब भारतीयों के दिलों पर रजत कर रही है। विनेश फोगाट ने ऐसे समाज में सिस्टम

को चुनौती दी, जहाँ लड़कियों को केवल पुरुषों का आज्ञाकारी बनाया जाता है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रश्न करें एवं संघर्ष करें। इन सारी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते हुए विनेश ने संघर्ष का रास्ता चुना और सभी प्रतिरोधों का मुकाबला करते हुए भी पुनः उठ खड़ी हुई। सिस्टम के कारण उसे पदक न मिला हो, किंतु उसके अयोग्य घोषित होने पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर तो भारतीयों से ही आना चाहिए। इनका उत्तर, आज नहीं तो कल, उन्हें देना ही होगा कि कैसे उनकी अक्षमता और उदासीनता के कारण एक सर्वकालिक महान भारतीय महिला पहलवान को ओलंपिक के स्वर्ण अथवा रजत पदक से वंचित रहना पड़ा? किसी भी विशेषज्ञ ने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा कि विनेश को क्या डाइट दी जा रही है एवं उसमें किस प्रकार उसका वजन बढ़ेगा? औपचारिक रूप से वजन के लिए जाने से पूर्व भी तो भारतीय दल ने विनेश का वजन कई बार लिया ही होगा। यह बात गलत नहीं उतरती है कि 2 किलो वजन कम किया जा सकता है, तो 100 ग्राम और कम क्यों नहीं किया जा सका?

अंत में हम यही कहेंगे कि विनेश, अपने भारतीय महिलाओं के लिए वह कर दिखाया है जो शायद ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी नहीं कर पाता। आपने उन्हें संघर्ष की राह दिखाई है, सवाल करने का हीसलादिया है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आपको परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इसीलिए आपको सलाम करने का मन करता है। सलाम, विनेश! -राजेन्द्र भागवत, (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

बजट 2024 में रोजगार सृजन के सार्थक प्रयास

देश के सतत विकास के लिए युवा शक्ति की क्षमता का पूरी तरह दोहन करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से रोजगार सृजन लंबे समय से भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा पेश बजट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक उपायों की रूपरेखा दी गई है। ये पहल एक बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो तत्काल रोजगार सृजन और दीर्घकालिक कार्यबल विकास दोनों ही समस्याओं का निराकरण करती हैं। इस लेख में हम बजट में रोजगार सृजन के लिए किए गए उपायों और उनके प्रभावों को व्याख्या करेंगे।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का विस्तार: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की आधारशिला रहा है। बजट 2024 में, सरकार ने 15,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए आवंटन के साथ पीएमईजीपी कार्यक्रम का काफी विस्तार किया है। इस विस्तार का उद्देश्य नए और

मौजूदा एम्प्लॉयमेंट को बेहतर वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बढ़ावा गया पीएमईजीपी प्रोग्राम और शहरी दोनों क्षेत्रों को लक्षित करेगा, जिससे युवा कुशलित होगा कि रोजगार सृजन समावेशी हो। युवा और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें ऋण पर कम ब्याज दरें और व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र को बढ़ावा देकर, सरकार को आने वाले वित्तीय वर्ष में कई लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल: रोजगार क्षमता बढ़ाने में कौशल विकास के महत्व को पहचानते हुए, बजट 2024 में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल अधिग्रहण में सुधार के लिए कई उपाय पेश किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीआई) और अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए हैं। बजट में निजी क्षेत्र की कंपनियों

के साथ साझेदारी में नए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये केंद्र प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकार उद्योग-विशिष्ट प्रमाणन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है जो बाजार की मांग के अनुरूप हों, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटा जा सके।

स्टार्ट-अप और नवाचार के लिए समर्थन: स्टार्ट-अप रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। बजट 2024 में, सरकार ने कर प्रोत्साहन और नियमों का सरलीकरण करके स्टार्ट-अप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक नई पहल की है। बजट में स्टार्ट-अप के लिए कर लाभों के तीन साल के विस्तार के साथ-साथ पंजीकरण और वित्तपोषण के लिए एक सरल आवेदन प्रक्रिया का प्रस्ताव है। सरकार ने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लिए एक नए 5,000 करोड़ रुपये के फंड की भी घोषणा की है। यह फंड उन नवोन्मेषी परियोजनाओं के लिए उद्यम पूंजी समर्थन और अनुदान

निधि प्रदान करेगा जिनमें महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता है। बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं: बुनियादी ढांचे के विकास का रोजगार पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। बजट 2024 में सड़क निर्माण, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी पहलों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन से निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से और संबंधित उद्योगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सरकार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है, जिससे रोजगार में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकेगा। राजमार्गों और रेलवे जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश से बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलने और रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना: भारत में रोजगार के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा

इस पर निर्भर है। बजट 2024 में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के उपाय पेश किए गए हैं। सरकार ने कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी पूर्णकरण और टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बजट में कृषि-व्यवसाय इनोवेटिवों की स्थापना और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों के लिए समर्थन के प्रावधान भी शामिल हैं। ये पहल कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और कृषि उत्पादों का मूल्य जोड़ने के लिए डिजाइन की गई हैं, जिससे किसानों की आय और रोजगार की संभावनाओं में सुधार होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार और सुधार: सरकार ने दक्षता और रोजगार सृजन में सुधार के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में सुधारों की भी घोषणा की है। बजट 2024 में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून प्रवर्तन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मौजूदा रिक्तियों को भरने की योजना शामिल है। -राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान से सैम्पल लिए

मिठाई की दुकान से सैम्पल लिए

मिठाई विक्रेता द्वारा एक ग्राहक को पुराना रखा घेवर बेच दिए जाने और ग्राहक द्वारा उसे उपयोग लेने के दौरान मरे हुए मकोड़े मिले थे

भीलवाड़ा, (निर्स)। शहर के इंदिरा मार्केट स्थित एक मिठाई विक्रेता द्वारा एक ग्राहक को पुराना रखा घेवर बेच दिए जाने और उसे उपयोग लेने के दौरान मरे हुए मकोड़े पाए जाने पर ग्राहक द्वारा पुलिस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायत की गई। इस पर अधिकारी द्वारा मामले

को गंभीरता से लिया जाकर दिखाई की जा रही है, लेकिन मिठाई विक्रेता पर किसी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस पर ग्राहक ने तत्काल एक लिखित शिकायत जिला कलेक्टर को दी। इसके बाद हरकत में आए विभाग के जिम्मेदारों ने देर शाम को उक्त दुकान से

मिठाइयों के सैम्पल लिए। जानकारी के अनुसार तितकानगर निवासी ग्राहक राजेश जीनगर ने इन्द्रा मार्केट स्थित व्यावर वाले के यहाँ 270 रूपए देकर घेवर लिया। जिसे घर पर खाने के दौरान सर्व करने पर मरे हुए मकोड़े पाए गए। इस बात की शिकायत दूरभाष

पर सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी को दी गई, जिस पर सीएमएचओ गोस्वामी ने उक्त मिठाई विक्रेता पर कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन दोपहर तक भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से ग्राहक द्वारा जिला कलेक्टर नमित मेहता को लिखित शिकायत देकर घटनाक्रम से

अवगत करवाया गया और शिकायत पत्र में सीएमएचओ द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लेने की बात भी कही गई। इसके बाद हरकत में आए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने दुकान पर पहुंचकर जांच के हेतु सैम्पल लिए।

राशिफल शुक्रवार 9 अगस्त, 2024



पंडित अनिल शर्मा

रविवारा रात्रि 2:44 तक है। आज वरद विनायक चतुर्थी, दुर्वा गुणपति व्रत है और श्रवण तपस्या आरम्भ होगी। श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:37 तक, चर 10:54 से 12:32 तक, लाभ-अमृत 12:32 से 3:49 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:59, सूर्यास्त 7:05

सावन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:34 तक, शिवयोग दिन 12:29 तक, वणिज करण दिन 11:21 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-वृष, बुध-सिंह, गुरू-वृष, शुक्र-सिंह, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

मेघ
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा।

कन्या
परिवार में शुभ-मंगलिक संदेश प्राप्त होगा। परिवार में सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
कार्यों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
घर-परिवार में कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मकर
निजी कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।</



भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराकर भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज मंडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराया है। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। पहले क्वार्टर के दौरान भारत ने नौ बार आक्रामक तरीके से स्पेन के सर्कल में प्रवेश किया लेकिन गोल करने में सफल नहीं हुये। इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रामक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले पैन्ल्टी स्ट्रोक का फायदा उठाते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पैन्ल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मुक़ाबले में 1-1 से बराबरी कर ली। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी और भारत ने अंत तक इस बढ़त को कायम रखकर यह मुक़ाबला जीत लिया। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में यह भारत का चौथा कांस्य पदक है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक पदक है। म्यूनिख ओलंपिक 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं। ओलंपिक में मिला इस जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने संचालन ले लिया। भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजलिस 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हैलसिंकी 1952 में स्वर्ण, मैलबर्न 1956 में स्वर्ण, रोम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मेक्सिको सिटी 1968 में कांस्य, म्यूनिख 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

चंद्रबाबू नायडू के अमित शाह को किये गये फोन के बाद, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश होने से रूका

शायद पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी विधेयक को पेश करने का मन बना लेने के बाद पीछे हटी है

श्रीनन्द झा - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 8 अगस्त। घटनाक्रम में आये एक अप्रत्याशित मोड़ के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार ने 'वक्फ अमेंडमेंट बिल' एक संयुक्त संसदीय कमेटी को सौंप दिया। ज्ञातव्य है कि विपक्ष ने प्रस्तावित संशोधनों का कड़ा विरोध किया था तथा एन.डी.ए गठबन्धन के घटक दल तेलुगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) ने इन पर आपत्ति जताई थी।

तेलुगुदेशम पार्टी सांसद बालयोगी ने कहा कि उनकी पार्टी सदन के पटल पर इस विधेयक को अपना "सशर्त समर्थन" दे रही है। समझा जाता है कि इस मुद्दे पर टी.डी.पी. प्रमुख एन.चन्द्रबाबू नायडू के एतराज के बाद सरकार ने इसे 'होल्ड' पर रखने का निर्णय ले लिया। इस मुद्दे पर चन्द्रबाबू नायडू एवं गृह मंत्री अमित शाह के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इसे एक दुर्लभ अवसर ही कहा जायेगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए.

- प्रस्तावित विधेयक में एक प्रमुख बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकार दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।
- साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, "जब राम मंदिर के निर्माण के लिये समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था।"
- अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कड़ुरूप (हार्ड लाइनर) खेमे को खुश करना चाहती है।
- विपक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के काम में हस्तक्षेप करने का और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करने का।

सरकार ने अपने किसी विधेयक पर अपने कदम पीछे हटा लिये हैं। वक्फ अधिनियम, 1995 में 44 संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया था। अन्य चीजों के अलावा, इन संशोधनों का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकारों में कटौती करना तथा जिला मजिस्ट्रेटों को नियम तैयार करने के अधिकार देना था। इसके अलावा, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों तथा महिलाओं को शामिल किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से

विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहार करते हुये, इसे "असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी" बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक्फ बोर्डों के संचालन से

राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों की मीटिंग ली

डॉ. सतीश मिश्रा - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 8 अगस्त। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद में पार्टी के लोकसभा सदस्यों की बैठक ली और बांग्लादेश व चीन सहित कई मसलों पर चर्चा की। लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव

संसद परिसर में हुई इस बैठक में राहुल ने बांग्लादेश और चीन के मसले पर चर्चा की तथा पार्टी सांसदों से जनता के मुद्दे उठाने की अपील की।

गोमोई, पार्टी महासचिव (संगठन प्रभारी) के.सी. वेणुगोपाल के साथ मिलकर बैठक की अध्यक्षता करने वाले राहुल ने पार्टी सांसदों से अपील की कि वे जनता से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए। राहुल गांधी ने बाद में एक्स पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'विपक्ष के कई नेता, जो अब बिल का विरोध कर रहे हैं, प्राइवेटली हमारे पास आकर विधेयक के पक्ष में बोलते थे'

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू ने यह भी दावा किया कि इन नेताओं का कहना था कि वक्फ जमीनों पर माफिया का कब्जा है और बिल लाकर आप इन जमीनों को माफिया के कब्जे से मुक्त कर रहे हैं

डॉ. सतीश मिश्रा - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 8 अगस्त। लोकसभा में आज पेश हुए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को व्यापक जांच के लिए जॉइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी (जे.पी.सी.) के पास भेजने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ विपक्ष ने मोदी सरकार को बाध्य कर दिया। विधेयक को संसद में पेश करने वाले केन्द्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने विपक्ष द्वारा इस विधेयक को असंवैधानिक बताकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद इसे व्यापक जांच के लिए जे.पी.सी. के पास भेजने का प्रस्ताव रखा।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने इसे "कठोर" एवं संविधान पर हमला बताया। रिजीजू के विधेयक पेश करने की मांग के तुरन्त बाद वेणुगोपाल ने इसे पेश किए जाने के विरोध में नोटिस देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है और इसके जरिए देश के संघीय सिस्टम पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को उसकी विभाजनकारी राजनीति को लेकर एक सबक सिखाया था, लेकिन

किरण रिजीजू ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, वक्फ बिल में किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। संशोधित विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वक्फ बोर्डों में महिलाओं व गैर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिले। वह हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि यह

विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सैन्य वक्फ बोर्ड कार्टेल तथा ऐसे ही अन्य निकायों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन है।

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सांसद सुदीप बंधोपाध्याय ने कहा कि विधेयक विभाजनकारी, असंवैधानिक एवं गैर संघीय है। द्रमुक सांसद कनिमोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि "यह संविधान, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय तथा देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह किसी भी तरीके से न्याय नहीं दे रहा है। मंत्री रिजीजू ने विपक्ष के भारी शोरशराबा करने के बाद संसद को बताया कि "सरकार एक संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करेगी और विधेयक को व्यापक जांच के लिए उसके पास भेजेगी। विधेयक पर वृहद

चर्चा करें, और हितधारकों को बुलाए, उनकी राय सुने, विधेयक को कमेटी के पास भेजें तथा भविष्य में हम उनके सुझावों को खुले दिल से सुनेंगे। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के उद्देश्य एवं कारणों के अनुसार यह विधेयक वक्फ की जायदाद के बारे में निर्णय लेने की वक्फ बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को समाप्त करना चाहता है। रिजीजू ने विधेयक के पक्ष में दावा किया कि विपक्ष के कई सीनियर नेताओं ने विधेयक को निजी तौर पर मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि "विपक्ष मुस्लिमों को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कस्टमर्स का कहना है कि स्विगी व अन्य ऐप्स के डिलिवरी एगिजक्यूटिव पुछते हैं, पैकेट में क्या है, अगर नॉन वैज होता है तो ऑर्डर नहीं लेते हैं। सामना करना पड़ रहा है जो कि भोजन से सम्बंधित है और शहर के नॉन वैज खाने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। नॉन वैज (मांसाहारी) भोजन खाना अवैध करार नहीं दिया गया है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि इस राज्य (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार अचानक वक्फ बोर्ड विधेयक को जे.पी.सी. को भेजने को तैयार क्यों हो गई?

कांग्रेस का कहना है, सरकार को मालूम था कि जे.पी.सी. का अध्यक्ष तो उसका सांसद ही बनेगा, जबकि सलैक्ट कमेटी का अध्यक्ष एन.डी.ए. का ही सांसद हो ऐसा जरूरी नहीं है

रेणु मित्तल - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 8 अगस्त। 'वक्फ अमेंडमेंट बिल', लोकसभा में पेश होने के बाद, विपक्षी दलों के भारी विरोध के कारण, एक संयुक्त संसदीय समिति (जॉइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी-जे.पी.सी.) को सौंप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि तेलुगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) सांसद हरीश बालयोगी ने कहा था कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड का समर्थन तो करती है लेकिन बेहतर यह होगा कि इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श हो तथा इसलिये इसे किसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। इस पर, अल्पसंख्यक मामलात के केन्द्रीय मन्त्री किरन रिजीजू ने प्रस्तावित किया कि सरकार इसे जे.पी.सी. को सौंपने के लिये तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार से पुनः पूछा कि क्या सरकार इसे

कांग्रेस के अनुसार, कल बुधवार को बिजनस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने मांग की थी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करने वाला विधेयक सदन में पेश करने से पहले सलैक्ट कमेटी में प्रस्तुत करना चाहिये। पर, अचानक बिना कुछ बातचीत हुए, सरकार जे.पी.सी. के गठन का प्रस्ताव लायी। कांग्रेस के अनुसार, अब आम चर्चा में यह सवाल है कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का प्रस्ताव क्यों लायी है, क्या सरकार की निगाह वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर है या सरकार कुछ चहेते व्यक्तियों की अनुगृहित करना चाहती है। उदाहरण के लिये मुकेश अंबानी का बहुचर्चित मकान, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है।

कि यह विधेयक स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमेटी) के पास भेज दिया जाये। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि जे.पी.सी. के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने इस विषय में विपक्ष से विचार-विमर्श नहीं किया। उल्लेखनीय है कि जे.पी.सी. सरकार के अनुकूल होती है क्योंकि इसके चेयरमैन उसके ही होते हैं तथा कमेटी में बहुमत भी सत्तापक्ष का होता है। इस बात को कोई गारन्टी नहीं होती कि किसी स्थायी समिति या प्रवर समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल के ही हों। सुत्रों का कहना है कि इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है तथा ये चुनाव भाजपा के मुख्य निशाने पर हैं। विपक्ष ने इस संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध किया है, जैसे- कलैक्टर को मध्यस्थता का अधिकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कालाडेरा में लोहा ढलाई फैक्टरी में बाँयलर फटा, एक की मौत 18 घायल

ओम कास्टिंग फैक्टरी में गुरुवार सुबह लोहा ढलाई के दौरान अचानक तेज धमाके से बाँयलर फट गया

चौमू/कालाडेरा, 8 अगस्त (निर्स.)। कालाडेरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लोहा ढलाई फैक्टरी के बाँयलर (भट्टी) में विस्फोट होने से एक मजदूर की मौत हो गई और 18 मजदूर घायल हो गये। घायलों को एम्बुलेंस से कालाडेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद, सात घायलों को गम्भीर हालत होने पर जयपुर सवाईमानसिंह अस्पताल रैफर कर दिया। घायलों में से दो मजदूरों की हालत गम्भीर बनी हुई है। हादसे में घायल मजदूर सुरेश कुमार जाट (40) पुत्र नारायण लाल हाथनोदा थाना सामोद की उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, ओम कास्टिंग फैक्टरी में लोहा ढलाई का कार्य किया जाता है। गुरुवार सुबह लोहा ढलाई के कार्य के दौरान फैक्टरी में लगे बाँयलर (भट्टी) में तेज धमाके की आवाज के साथ ही विस्फोट हो गया, जिससे फैक्टरी में हड़कंप मच गया।

बाँयलर के पास काम कर रहे मजदूर झुलस गए, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में एक मजदूर सुरेश कुमार जाट की मौत हो गई। घायलों में से गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल भेजा गया है तथा बाकी का चौमू के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसीलदार डॉ. विजयपाल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा इंतजामात में भारी लापरवाही सामने आई है। विधायक डॉ. शिखा मील बराला पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू में भर्ती घायलों से मुलाकात की।

अस्पताल पहुंचाया। तहसीलदार डॉ. विजयपाल ने फैक्टरी का अवलोकन किया। कहा जा रहा है कि फैक्टरी में सुरक्षा उपकरणों को लेकर भारी लापरवाही सामने आई है। तहसीलदार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैदराबाद में नॉन वैज की डिलिवरी से इनकार है स्विगी को

लक्ष्मण वेंकट कुची - राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो - नई दिल्ली, 8 अगस्त। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कई ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर हैं और आधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, जो एक सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक समस्या का

सार-समाचार

दो पत्थरबाज गिरफ्तार



बांसवाड़ा, (निर्स)। घाटोल थाना पुलिस ने रात्रि में सड़क जाम कर पत्थरबाजी करने के मामले में दो पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है वहीं दो नाबालिगों को डिटेन किया। थानाधिकारी प्रवीण सिंह सिसोदिया ने बताया कि 6 अगस्त को गोविन्द पुत्र कमलशंकर निवासी दूदका ने रिपोर्ट दी कि वह 5 अगस्त को अपने साथी श्रवण कुमार पुत्र नाकु निवासी बोदलापाड़ा रात्रि में लगभग 11 बजे दूदका बंद कर घाटोल से दूदका जा रहे थे कि रास्ते में हेरो के पास गड्डालाल, राजमल के अलावा दो अन्य ने रास्ता रोककर पत्थरबाज किया जिससे गोविन्द को गंभीर चोट आयी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही चारों फरार हो गये। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये। जिस पर थानाधिकारी सिसोदिया ने थाना स्तर पर टीम गठित करते हुए सहायक उपनिरीक्षक मेघराज, हैड कॉन्टेबल युवराज व वीरभद्र, कॉन्टेबल कल्याण सिंह व वीरभद्र सिंह की टीम गठित की। इस टीम ने गड्डालाल डामोर निवासी लंबी पाटिया, राजमल पुत्र गड्डालाल डामोर निवासी लंबी पाटिया को गिरफ्तार किया वहीं दो नाबालिगों को डिटेन किया।

ट्रेडिंग के नाम पर 15.50 लाख रुपए ठगे

डूंगरपुर, (निर्स)। बिछीवाड़ा थाने में 15.50 लाख रुपए की ठगी का प्रकरण दर्ज कराया गया है। यूक्रेन और फिग किर्गिस्तान से एमबीबीएस कर रहे दोस्त ने ट्रेडिंग बिजनेस के नाम पर उससे ठगी की। वहीं, आरोपी की ओर से दिए गए 2 चेक भी बाउंस हो गए। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार सूत्र पुत्र कांतिलाल पटेल निवासी छाप्री ने मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2019 से वह यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहा था। आरोपी शाहिद चौहान पुत्र रमेश चौहान निवासी नौपाड़ा उत्तरप्रदेश भी उसके साथ ही एमबीबीएस कर रहा था। इस वजह से दोनों में जान पहचान थी। वर्ष 2021 में यूक्रेन युद्ध हो गया और सभी एमबीबीएस स्टूडेंट किर्गिस्तान देश चले गए। आरोपी शाहिद भी वहीं आ गया। दोनों एक ही बैंक के स्टूडेंट होने के साथ ही एक कमरे में रहने लगे, जिससे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। 12 फरवरी 2023 को आरोपी शाहिद चौहान ने ट्रेडिंग बिजनेस में निवेश करने के लिए 6 लाख 31 हजार रुपए की आवश्यकता बताई। इस पर उसने ये रुपए उसे दे दिए। इसके बाद 1 जुलाई 2023 को आरोपी ने 5 लाख रुपए की ओर जरूरत बताई। इस पर उसने कहा कि उसके पास ओर रुपए नहीं है। आरोपी ने 2-3 महीने में रुपए लौटाने का भरोसा दिलाया। जिस पर उसने अपने रिश्तेदारों से 5 लाख रुपए उधार लेकर उसे दिए। लेकिन उसने ये रुपए समय पर वापस नहीं दिए। 14 मार्च 2024 को आरोपी शाहिद चौहान भारत आ गया। इसके बाद वह भी 26 अप्रैल को भारत आ गया। 7 मई को आरोपी ने फिर से उसे काल किया और 2 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता बताई। इस ओर उसने कहा कि पहले से दिए रुपए ही आज तक नहीं दिए हैं। अब उसके पास रुपया नहीं है। इस पर उसने कहा कि ट्रेडिंग बिजनेस में वह फंस गया है। उसे 2 लाख रुपए नहीं मिले तो वह पहले दिए 13.50 लाख रुपए भी वापस नहीं दे सकेगा। इस पर उसने रुपए ढूँढने के डर से 2 लाख रुपए दे दिए।

लोकार्पण पट्टिका का अनावरण

मंडफिया, (निर्स)। भदर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीपलवास में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत जल संग्रहण तलाई नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भदर प्रधान सुशीला कंवर आक्या ने की। जिला परिषद सदस्य कैलाश चंद्र जाट ने सांगवाडिया प्राथमिक विद्यालय भवन के मरम्मत को मांग तथा पीपल वास ग्राम वारिसियों ने हाज्याखेड़ी से पीपलवास सड़क निर्माण की मांग की।

सांवलिया जी सेठ के दर्शन किए

मंडफिया, (निर्स)। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड ने भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के दर्शन किए। कांठोस युवा नेता सुरेश चंद्र गुर्जर ने बताया कि एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड बुधवार रात्रि को सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर पुजारी ने प्रदेशाध्यक्ष जाखड को तुलसी एवं चरणामृत प्रदान किया। दर्शन पश्चात प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड का मंदिर कार्यालय में मंदिर बोर्ड अध्यक्ष मेहलाल गुर्जर, मंदिर बोर्ड सदस्य अशोक कुमार शर्मा, भादसोड़ा सरपंच मंदिर बोर्ड सदस्य शंभू लाल सुधार ने उपरना ओढ़ाकर स्वागत एवं सम्मान किया।

ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी

कपासन, (निर्स)। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ कपासन ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं को लेकर गुरुवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री और मुख्य सचिव के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्याओं के निराकरण करवाने का आग्रह किया है। 13 अगस्त तक निराकरण नहीं होने पर इस योजना के कार्य का बहिष्कार किया जाएगा।

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ कपासन के ब्लाक अध्यक्ष कमलेश

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग

बौद्ध ने बताया कि जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर जाट के नेतृत्व में इस संबंध में पंचायत समिति कपासन बीडीओ मुकेश पोरवाल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें बताया गया कि पंचायती राज विभाग संदर्भित पत्राचार के अनुसार ग्रामीण आबादी भूमि के स्वामित्वधारियों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत उनके कब्जे



राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर जाट के नेतृत्व में बीडीओ मुकेश पोरवाल को ज्ञापन दिया।

स्वामित्व की आबादी भूमि का विधिक दस्तावेज पट्टा, विक्रय विलेख दिया जाना है। भूमि के स्वामित्वधारियों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत उनके कब्जे स्वामित्व की आबादी भूमि का विधिक दस्तावेज पट्टा, विक्रय विलेख दिया जाना है। स्वामित्व योजना की क्रियान्वयन में अस्पष्ट दिशा निर्देशों तथा समुचित प्रशिक्षण के अभाव में इससे संबंधित कार्रमिकों और जनप्रतिनिधियों

को बहुत अधिक जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में कुल 23 प्रकार की समस्याओं का उल्लेख किया गया। क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण 13 अगस्त तक निस्तारण करवाने मांग की गई। अगर 13 अगस्त तक विभाग की ओर से समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है, तो 14 अगस्त से स्वामित्व योजना का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा और इसमें किसी

प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष रामेश्वर लाल जाट, ब्लाक अध्यक्ष कमलेश बौद्ध, शंकरलाल बैरवा, प्रवीण मेनारिया, उर्मिला विजयवर्गीय, पुष्कर राज योगी, तेजसिंह पवार, पारस बिशनोई, रामेश्वर लाल सालवी, सुरेश प्रजापत, रोहित सेनी, विनोद कुमार ढाका, घनश्याम उपाध्याय, खलील मोहम्मद, राहुल व्यास, आशुतोष गौड, प्रमोद भांभी आदि मौजूद रहे।

हर घर तिरंगा-2024 का आगाज आज से

उदयपुर, (कांस)। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा-2024 का आगाज शुरूवार से होगा। 9 से 14 अगस्त तक प्रस्तावित इस अभियान के दौरान उदयपुर जिले में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर पर विविध आयोजन होंगे।

जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी

अधिकारी और हर घर तिरंगा अभियान की नोडल अधिकारी कीर्ति राठी ने गुरुवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक लेते हुए अभियान को बृहद स्तर पर पूर्ण गरिमा और उल्लास के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। सीईओ राठी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें अधिक से अधिक जनभागीदारी

सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि 9 से 14 अगस्त तक चलने वाले अभियान के दौरान ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा उपखण्ड एवं जिलास्तर पर तिरंगा रैलियों का भी आयोजन किया जाना है। जिला स्तर पर मैराथन और सांस्कृतिक संध्या होगी।

शराब तस्करी गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी तीन महीने से फरार चल रहा था। जिस पर पुलिस की ओर से 5 हजार रुपए का इनाम रखा गया था।

बिछीवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि 23 मई को राजस्थान पुलिस के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक को रूकवाया। ट्रक ड्राइवर भानुप्रकाश प्रजापति निवासी झालावाड ने बबुल की लकड़ी होना बताया।

कांकरोली में तीन बदमाश पकड़े

राजसमंद, (निर्स)। कांकरोली थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपराधियों को फोलो कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी हनवंतसिंह सोडा ने बताया कि विगत दिनों शहर में हुई फायरिंग की घटना को एस्प्री मनीष त्रिपाठी द्वारा गम्भीरता से लेते हुये एक्सपी महेन्द्र पारीक के सुपरविजन व डीएसपी विवेकसिंह के निदेशानुसार शहर में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले व हथियार रखने वाले अपराधियों तथा गुण्डों को, सोशल मीडिया पर अपराधियों को फोलो कर दहशत फैलाने वाले की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कांकरोली थाना पुलिस द्वारा ऐसे तीन दहशतगर्दी किशनलाल (21) पुत्र भूरालाल भील निवासी बाघपुरा, विष्णु (21) पुत्र भूरालाल भील निवासी बाघपुरा व प्रकाश चन्द्र (22) पुत्र रामलाल भील निवासी बाघपुरा को सोशल मीडिया किंग खान नामक ग्रुप चलाने वाले मफरूर अपराधी हासिम खान उर्फ मोहिद पुत्र आफताब खान पठान निवासी आजाद नगर



कांकरोली पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया।

जलचक्र की कांकरोली हाल निवासी बाघपुरा, मुकेश उर्फ फुग्गा पुत्र मदनलाल गवारिया निवासी भीलमगरी कुण्ड के पास जलचक्र की कांकरोली के फोलोअर्स हैं। ये सभी लोग फरार अपराधी हासिम खान

उर्फ मोहिद, मुकेश उर्फ फुग्गा के सोशल मीडिया अकाउंटस फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर अपराधियों को फोलो कर अपराध को बढ़ावा देते हुये अपराधियों द्वारा पोस्ट किये गये वीडियो-फोटो को

वायरल करते हैं। अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंटस फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप पर राजसमंद साईबर पुलिस द्वारा लगातार निगरानी रखी जाकर कार्यवाही जारी है।

प्रन्यास पुण्य विमल महाराज का 132 वां जन्मोत्सव मनाया

डूंगरपुर, (निर्स)। जिले के बनकोडा क्षेत्र में आज श्रवण शुक्ल की चतुर्थी के अवसर पर प्रन्यास पुण्य विमल महाराज के 132 वे जन्म जयंती महामहोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ।

124 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

सर्वप्रथम विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय से रत्नागिरी तीर्थ स्थल तक गाजों बाजों के साथ प्रभातफेरी का आयोजन किया। सैकड़ों विद्यार्थियों ने रत्नागिरी मंदिर पहुंचकर गुरुदेव के दर्शन किए। तत्पश्चात रत्नागिरी तीर्थ स्थल पर प्राथनी सभा का आयोजन



बनकोडा में प्रन्यास पुण्य विमल महाराज की जयंती मनाई।

बतलाया की गुरुदेव पुण्य विमल महाराज एक महान तपस्वी, साधक एवं वात्सल्य के धनी थे। उनकी तपस्या का ऐसा अलौकिक प्रभाव था कि जो महाराज बोल दें वैसा ही होता है। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते थे और महाराज के आशीर्वाद से उनके असंबंध कार्य भी संबध हो जाते थे। विद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भामाशाह अतिथक जैन पुत्री अभिनव जैन भीलवाडा के द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। गुरुदेव के स्मरण करते हुए अपने प्रवचनों में

सरकार के निर्देशानुसार वृक्षारोपण महाअभियान हरियाली राजस्थान के तहत पुण्य हरित योजना में भामाशाहों के माध्यम से इस शुभ अवसर पर 124 पौधे लगाए गए, पौधों की सुरक्षा हेतु द्नी गई खाद मिट्टी व डिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था की गई है। ताकि सभी पौधे जीवित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ अधिभागकण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। मंच संचालन हिमांशु व्यास ने किया आभार व्यक्त हिमानी कलाल राकेश जैन ने किया। इसी क्रम में वागड उद्घाटन प्रन्यास

प्रवर पुण्य विमल जी महाराज की 132 वीं जन्म जयंती के अवसर पर ओटा स्थित नेमिनाथ मंदिर के पुण्य प्रवचन हॉल में मुनिरत्न सागर जी एवं पवित्ररत्न सागर जी की निश्रा में गुणानुवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रारंभ में उनकी तस्वीर की सम्पुष्क वीशा पोखाड संघ के प्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन व वाक्षेप पुजा कर अनुमोदन किया। इस अवसर पर समाज के जयंतिलाल मेहता, रजनीकान्त मेहता, महावीर प्रसाद जैन, हर्ष मेहता, सुधास मेहता, अभय मेहता, शैलेश मेहता आदि उपस्थित थे।

स्काउट यूनिफॉर्म वितरित की

बांसवाड़ा, (निर्स)। राउमावि आला पृथ्वीगढ़ में सराफा एसोसिएशन के सानिध्य में पौधरोपण एवं स्काउट यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष पवन कुमार जैन रहे जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रीति कुलश्रेष्ठ ने की एवं विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण सोनी, पीयूष जैन, राजेश मेहता एवं राहुल जैन रहे। दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की वंदना उपरांत विद्यालय के प्रेम सिंह मैट्टा, धवल उपाध्याय प्रतिभा आचार्य तथा निधि शर्मा ने उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया। सराफा एसोसिएशन की ओर से कक्षा 9 के बादल, महेश, मनोहर, गणेश एवं निलेश को स्काउट ड्रेस भेंट की। स्वागत उद्घोषण में प्रधानाचार्य कुलश्रेष्ठ ने विद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों का अभिनंदन किया वहीं सहयोग करने वाले भामाशाहों को याद करते हुए स्काउट-गाइड के लिए 10 ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आभार जताया। मुख्य अतिथि स्काउट प्रधान पवन कुमार जैन ने पर्यावरण संरक्षण के लिये पौधरोपण का महत्व बताते हुए स्काउट गाइड गतिविधि से जुड़कर सेवा भावना पूर्वक दायित्व निर्वहन करने का आ आन किया। हिंदेंद्र आचार्य के मार्गदर्शन में छात्रों ने दीप जलाते रहे गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम उपरांत पदाधिकारियों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण करते हुए स्काउट छात्रों को पौधों में पानी पिलाने और सुरक्षा का दायित्व सौंपा।

विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित



ठकुरानी तीज पर नगर परिषद की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते बच्चे।

राजसमंद, (निर्स)। नगर परिषद राजसमंद के सानिध्य में ठकुरानी तीज के उपलक्ष्य में बुधवार शाम को इरिगेशन गार्डन कांकरोली में महिलाओं, बालक-बालिकाओं, युवतियों व बच्चों के साथ ही पुरुष वर्ग के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेले में सैकड़ों दर्शकों के बीच आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर अनिल सिंह थे व अध्यक्षता पेंसिफिक अस्पताल उदयपुर के प्रो. डॉ. हरीश कुमावत ने की। इसके साथ ही पार्षद भुरालाल कुमावत, हिमानी नन्दवाना, पूर्व पार्षद कमलेश

ज्ञापन सौंपा



भीम, (निर्स)। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारी ने स्वामित्व योजना की समस्याओं के निस्तारण के लिए गुरुवार को सहायक विकास अधिकारी सोहनलाल सालवी को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर संभाग मंत्री संतोषसिंह ब्लॉक अध्यक्ष योगेश कुमार महेंद्र कुमार भांवरिया धीर सिंह मीणा मनोहर सिंह ईशंश मीणा लोकेश मीणा दिव्या चोयल सुरभि शर्मा ललित चोयल लालाराम भगवान सहाय रामलाल मुकेश कुमार हिंगोलिया मोहन सिंह वीरम सिंह चंपा लटियाल अंकित सेन श्यामसुंदर मीणा मोनिका कुमारी, देवेन्द्र तंवर मदनसिंह संग्राम सिंह आनंद ज्योति आदि ग्राम विकास अधिकारियों ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्राम गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में कई समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें तत्काल हल किया जाना चाहिए। बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड में पट्टे वितरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि विवाद की स्थिति होने पर अपीलीय प्रावधान किए जाएं इसमें सीधे पुलिस मुकदमा एफआईआर दर्ज नहीं करने दण्डात्मक कार्यवाही नहीं करने एवं सुनवाई का अधिकार होने के संबंध में स्पष्ट परिपत्र जारी किया जावे। ग्राम विकास अधिकारी संतोष सिंह योगेश कुमार लोकेश सिंह धीर सिंह मीणा ज्ञापन सौंपने वालों ने मांग प्रिस मीणा लोकेश मीणा दिव्या चैनल सुरभि शर्मा ललित चौहान योगेश कुमार संतोष कुमार आदि ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को इसका पूरा लाभ मिल सके।

नेता प्रतिपक्ष से मिले कांग्रेस जन

डूंगरपुर, (निर्स)। चौरासी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उप चुनावों को लेकर चौरासी विधान सभा क्षेत्र के कांग्रेस जन का प्रतिनिधि मण्डल जयपुर पहुंचा जहां उन्होंने विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता एवं विधायक टीकाराम जुली से मुलाकात कर उप चुनावों के लिए पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। कांग्रेस जनों ने टीकाराम जुली का स्वागत किया और विस्तार से क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में और कांग्रेस पार्टी के जीत की गणित के बारे में अवगत कराया और आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार उतरना जरूरी बताया साथ ही कहा कि उपचुनाव में किसी अन्य पार्टी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जावे अन्यथा भविष्य में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, जिलाध्यक्ष बलराम राम पाटीदार, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रियकांत पंड्या, पूर्व प्रधान एडवोकेट निमिषा भगोरा, ब्लॉक अध्यक्ष डुलेसिंह चौहान जनजाति ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कदारा जिला कांग्रेस कमेट्री महामंत्री रूचंद भगोरा पंचायत समिति सदस्य विमल डूडियार सरपंच संजय कलासुआ सरपंच मुकेश, सरपंच दिलीप सरपंच मेवाडा कमलेश ननोमा पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोवर्धन पारपी कांग्रेस नेता चेतन मेहता शिक्षाविद् नरेश रोत महेंद्र भाभोरे लैप अध्यक्ष भादर पूर्व सरपंच विकास नगर ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष अमृतलाल पटेल आदि मौजूद थे।

अवैध गांजा परिवहन करते एक धरा

राजसमंद, (निर्स)। जिले में एस्प्री मनीष त्रिपाठी के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियार सप्लाई करने वाले, हथियार रखने वाले अपराधियों तथा गुण्डों को सोशल मीडिया पर फोलो कर दहशत फैलाने वाले की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कांकरोली थाना पुलिस की टीम ने अवैध रूप से 1.377 किलोग्राम गांजा परिवहन करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। आरोपी से गांजा क्रय-विक्रय के संबंध में पूछताछ जारी है। थानाधिकारी हनवंत सिंह सोडा ने बताया कि वासोल भाणु रोड तिराहा पर दौरान नालाबंदी सोहेल (20) उर्फ सोडा पुत्र सलीम नोमो निवासी भीलमगरी, जलचक्रकी, कांकरोली को अवैध रूप से 1.377 किलोग्राम गांजा परिवहन करते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया।

घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप

बांसवाड़ा, (निर्स)। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा छात्रसंघ अध्यक्ष राहुल गारासिया व ब्लॉक संयोजक राजेश डिंडोर के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ़ में निर्माणधीन भवन का निरीक्षण कर घटिया सामग्री के उपयोग पर रोष जताया। छात्रसंघ पदाधिकारियों ने भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पानी का रिसाव हो रहा है अतः प्रशासन अविलम्ब कार्य व सामग्री का निरीक्षण कर भवन निर्माण में गुणवत्तायुक्त सामग्री का उपयोग करने के लिये संबंधित को पाबंद करें अन्य महाविद्यालय छात्रों द्वारा विरोध किया जाया जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस अवसर पर छात्र प्रतिनिधि कैलाश डामोर, कपिल भाभोर, भूरसिंह परमार, इकाई संयोजक बलवंत परमार व दिनेश सुरावत, जितमल डामोर आदि मौजूद रहे।



विनेश एक योद्धा है, मैच पर और मैच से बाहर भी। विनेश के माध्यम से हम सीख रहे हैं कि हार के बावजूद भी अपने अंदर की लड़ाई को कभी नहीं हारना क्या मायने रखता है। विनेश फोगाट एक योद्धा की सच्ची भावना को मूर्त रूप देती है। - अभिनव बिन्ना

पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, विनेश फोगाट की प्रशंसा की।



आज का खिलाड़ी



सूर्यकुमार यादव

भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस साल आगामी बुकी बाबू बहु-दिवसीय टूर्नामेंट में मुंबई के लिए एक मैच खेलने की पुष्टि की है। सूर्यकुमार 27 से 30 अगस्त तक कोयंबटूर में तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन एकादश के खिलाफ मुंबई सीए एकादश के लिए खेले जाने वाले दूसरे

मैच में खेलेंगे। टेस्ट विशेषज्ञ सरफराज खान को मुंबई की टीम का कप्तान बनाया गया है। सूर्यकुमार सभी प्रारूपों के क्रिकेट में खेलना चाहते हैं और भारतीय खिलाड़ी अभी ब्रेक पर होंगे क्योंकि उन्हें अगली दो टेस्ट मैच की श्रृंखला सिस्टंबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है।

क्या आप जानते हैं? ... टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के मध्य 1877 में मेलबोर्न में खेला गया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 45 रन से जीता।

हॉकी में फिर से इतिहास दोहराया, भारत ने ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य जीता

स्पेन को 2-1 से हराकर भारतीय हॉकी टीम ने जीता चौथा कांस्य पदक



पेरिस, 8 अगस्त। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराते हुए गुरुवार को स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में देश के लिए चौथा कांस्य पदक जीता। आज यहाँ यवेस-डु-मनोइर स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में पहला क्वार्टर में दोनों टीमों के आक्रामक प्रदर्शन के बावजूद गोल रहित रहा। हालांकि इस दौरान भारत ने नौ बार आक्रामक तरीके से स्पेन के सर्कल में प्रवेश किया गोल करने में सफल नहीं हुये।

इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रामक शुरुआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले पेनल्टी स्ट्रोक का फायदा उठाते हुए मार्क मिरालेस ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश को चकमा देते हुए 18वें मिनट में गोल दागरक अपनी टीम को

बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने कर 1-1 से बराबरी कर ली। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी। इसकी के साथ ही टूर्नामेंट में हरमनप्रीत के गोलों की संख्या दस हो गई।

भारतीय कप्तान को दो मिनट बाद गोल करने का एक और मौका मिला, लेकिन वह स्पेनिस गोलकीपर को चकमा देने में विफल रहे। चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और कई पेनल्टी कॉर्नर के मौके बनाये लेकिन वे इसे गोल में तब्दील नहीं कर सके। मैच के दौरान भारतीय टीम ने स्पेन पर अधिकतर समय दबाव बनाये रखा। पेरिस 2024 टोपीकालीन खेलों में यह भारत को चौथा कांस्य पदक है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक

पदक है। म्यूनिक ओलंपिक 1972 के बाद यह पहली बार जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं।

ओलंपिक में मिला इस पदक जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने संन्यास ले लिया। उल्लेखनीय है कि हरमनप्रीत सिंह एंड कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में भी कांस्य पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने एम्टर्टम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजिल्स 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हेलसिंकी 1952 में स्वर्ण, मेलबर्न 1956 में स्वर्ण, रोम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मेक्सिको सिटी 1968 में कांस्य, म्यूनिक 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

आरसीए की पूर्व कार्यकारिणी पर एफआईआर दर्ज

दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में करोड़ों का घोटाला

वनडे मैचों में घोटाला, कैटरिंग का काम करने वाली फर्म को बिल्डिंग बनाने का काम दिया

जयपुर, 8 अगस्त। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमिटी ने गुरुवार को एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एडहॉक

कमेटी के संयोजक जयदीप बिहाणी ने बताया कि आरसीए की पूर्व कार्यकारिणी ने जमकर भ्रष्टाचार किया और जब एडहॉक कमेटी ने पूरे मामले की जांच की, तो करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताएँ पाई गईं। इसके बाद एसोसिएशन की पूर्व कार्यकारिणी पर ज्योति नगर थाने में पूर्व सचिव, पूर्व कोषाध्यक्ष और पूर्व संयुक्त सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जयदीप बिहाणी ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कार्यकारिणी ने एसएमएस

स्टेडियम के रिनोवेशन, राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजन और चोप में बन रहे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम में जमकर भ्रष्टाचार किया। जयदीप बिहाणी ने यह भी कहा कि कमेटी ने पूरे मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा करवाई और इसकी एक 363 पृष्ठों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई। इस ऑडिट रिपोर्ट में काफी कुछ अनियमितताएँ सामने आई हैं। इसमें स्टेडियम के निर्माण से लेकर आईपीएल मैच के दौरान टेंडर जैसे घोटाले भी शामिल हैं।

राजधानी

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हासिल करेंगे किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य : हीरालाल नागर

जयपुर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देकर प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मात्र 7 माह की अल्पावधि में कुसुम सी योजना में 4386 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के एलओआई जारी कर दिए हैं। इन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को धरातल पर मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऊर्जा उपक्रमों की मजबूत साझेदारी से राजस्थान जल्द ही ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राजस्थान अक्षय ऊर्जा बिजनेस प्रमोशन समिट-2024 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा गेल इंडिया के बीच 4200 करोड़ रु. के एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देवेंद्र श्रृंगी ने हस्ताक्षर किये। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश का पश्चिमी भू-भाग राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिजनेस समिट में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हितधारक अपने सुझावों व समस्याओं को साझा करेंगे। उनके उचित सुझावों एवं समस्याओं पर सरकार सहानुभूति से विचार करेगी और आवश्यक होने पर नीतिगत बदलाव भी करेगी।

नागर ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में राजस्थान को केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन मिल रहा है। सरकार बनने के दो माह बाद ही हमने एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, सतलज जल विद्युत निगम तथा आईसी जैस देष के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 1 लाख

60 हजार करोड़ रूपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इससे आने वाले समय में 31 हजार 825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और प्रसारण तंत्र भी मजबूत होगा। ऊर्जा मंत्री ने अपने हाल के दिल्ली दौर का निरूत करते हुए कहा कि केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर राजस्थान को केंद्र ने अपने अनावंटित कोटे से 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इसे मिलाकर वर्तमान में राजस्थान को इस विषय पर स्थिति में अनावंटित कोटे से एक हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है जिससे निर्बाध आपूर्ति बनाये रखने में मदद मिली है। नागर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में भी भरपूर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री

- धौलपुर व रामगढ़ प्लांट को उचित दर पर होगी गैस की पर्याप्त आपूर्ति, 1000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा : ऊर्जा मंत्री
- राजस्थान ने बंडलिंग के जरिए प्रस्तुत किया सस्ती बिजली का अनूठा उदाहरण : संदीप गुप्ता

निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इन एमओयू की बंडलिंग कर सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का अनूठा उदाहरण पूरे देश के समुख प्रस्तुत किया है। इससे प्राप्त बिजली की दर तो कम होगी ही और पीक लोड डिमांड को भी पूरा किया जा सकेगा।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है और उनके नेतृत्व में राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ओम प्रकाश कसेरा ने कहा कि स्टिक होल्डर्स को एक ही मंच पर लाने की राज्य सरकार की अभिनव पहल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को नए आयाम प्रदान करेगी। कार्यक्रम में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नथमल डिंडेल सहित सभी बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लगभग 900 हितधारक मौजूद थे।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 'हर घर तिरंगा' अभियान शुरू किया



कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर "हर घर तिरंगा अभियान" का शुभारंभ किया। वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम शक्तावत के वार्ड कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री व झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कुमकुम शक्तावत, अर्चना शर्मा, जनता के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा कर "हर घर तिरंगा अभियान" का शुभारंभ किया। वार्ड 48 की पार्षद कुमकुम शक्तावत के वार्ड कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ा।

भाजपा नेता शक्ति सिंह मानपुरा ने बताया कि झोटवाड़ा विधानसभा के लोगों ने कर्नल राठौड़ को साफ-माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पार्षद कुमकुम शक्तावत, अर्चना शर्मा, विकास बरोट, महादेव बागड़ा व सत्येन्द्र सतनाली उपस्थित थे। शक्ति सिंह ने बताया कि कर्नल राठौड़ के पार्षदों ने घर-घर जाकर तिरंगा वितरित किया। अमरनगर, जनक विहार, पश्चिम विहार, ब्रजराज एनक्लेव, गली नंबर 5 से होते हुए पार्षद कार्यालय पर सभा का आयोजन किया गया। यहाँ मंत्री

राज्यवर्धन राठौड़ ने 1100 तिरंगे झंडे वितरित किए। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा व शांति का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज सम्मान में न जाने कितने ही देश भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हर घर तिरंगा अभियान उन सभी नायकों को याद करने, राष्ट्रप्रथम का संकल्प लेने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का माध्यम है।

अवैध खनन को नहीं रोकने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग की पहाड़ी तहसील में खन रहे अवैध खनन को नहीं रोकने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव, खान निदेशक, संभागीय आयुक्त, डीग कलेक्टर और एस.पी. सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।



सलूमबर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार देर रात को निधन हो गया। गुरुवार को उनकी पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूमबर पहुंचकर अमृतलाल मीणा की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित की।

सलूमबर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन

राजकीय सम्मान से अंतिम विदाई, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की

उदयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। सलूमबर से लगातार तीन बार भाजपा के विधायक रहे अमृतलाल मीणा (65) का बुधवार देर रात उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी अनुसार बुधवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर विधायक अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल लाया गया और रात करीब दो बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।

- बुधवार रात अचानक तबियत बिगड़ने पर अमृतलाल मीणा को उदयपुर के एम.बी. अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उनका निधन हो गया।
- अमृतलाल मीणा की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी।
- सलूमबर से लगातार तीन बार विधायक रहे अमृतलाल मीणा 20 साल से राजनीति में थे और क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते थे।

गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे उनकी पार्थिव देह उदयपुर से उनके पैतृक गांव लालपुरिया (सलूमबर) लाई गई। यहां पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इससे पहले दोपहर करीब डेढ़ बजे उनकी पार्थिव देह को सलूमबर के डाक बंगला में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि दी। विधानसभा में भी जनता की बात मजबूती से उठाते रहे और सलूमबर क्षेत्र में विधायक रहते हुए उन्होंने कई बड़े विकास कार्य भी करवाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सलूमबर विधायक अमृतलाल मीणा के आकरिमिक निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने गुरुवार को सलूमबर

के लालपुरिया (सेमारी) पहुंचकर मीणा की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनन किया एवं शोक संतपन परिजनों को संत्वना दी। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि अमृतलाल के आकरिमिक निधन का समाचार स्वस्थ कर देने वाला है। उनका निधन प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि मीणा वर्ष 2013 से सलूमबर की जनता की सेवा में जुटे हुए थे। समाजसेवा और जनता के हित में वे हमेशा तत्पर रहते थे। शर्मा ने कहा कि सलूमबर विधायक अमृतलाल मीणा के आकरिमिक निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। शर्मा ने गुरुवार को सलूमबर

में अद्वितीय योगदान दिया। उनको एक जनप्रिय नेता के रूप में सदैव याद किया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबुलाल खराड़ी, राज्यस्व मंत्री हेमन्त मीणा, सहकारिता राज्यमंत्री गौतम दक, राज्यस्व सांसद मदन राठौड़, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुन्दा विधायक प्रताप गमेठी, श्रीचंद कुपलानी, समाजसेवी दिनेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक

अधिकारी, ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे। मीणा के निधन के समाचार के पश्चात मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को प्रस्तावित सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार इस बार के बजट सत्र में भी उन्होंने विधानसभा में 98 लिखित सवाल लगाए। उनमें से 10 सवालों का जवाब आ चुका है और 88 सवाल का जवाब आना बाकी है। जनहित के इन सभी सवालों का जवाब आता उससे पहले ही अमृतलाल मीणा जनता के बीच से विदा हो गए।

एमबी अस्पताल अधीक्षक आरएल सुसन के अनुसार विधायक अमृतलाल मीणा को बुधवार रात करीब सवा एक बजे एमबी अस्पताल लाया गया। उस समय विधायक मीणा की सांसे नहीं चल रही थी, धड़कनें बंद हो चुकी थीं। इमरजेंसी में ही काफी प्रयास किया गया। डॉक्टरों की टीम ने करीब पौनघंटा काफी प्रयास किया। रात करीब दो बजे विधायक मीणा का निधन हो गया। सलूमबर जिले के लालपुरिया गांव में साल 1959 में जन्मे अमृतलाल मीणा करीब 20 साल राजनीति में सक्रिय रहे। अमृतलाल ने साल 2004 में पंचायत समिति सराडा के सदस्य के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी।

ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले में चार्जशीट पेश की

जयपुर, 8 अगस्त (का.सं.)। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) मामलों की विशेष अदालत में गुरुवार को ई.डी. ने जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर दर्ज मनी लॉण्डरिंग के मामले में चार आरोपियों पदम चंद जैन, महेश मित्तल, संजय बडाय्या और मुकेश पाठक के खिलाफ चार्जशीट पेश की है।

चार्जशीट में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को ई.डी. ने टेकेदार पदम चंद जैन के बेटे पीयूष जैन के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। चार्जशीट में कहा गया कि ई.डी. ने ए.सी.बी. दर्ज एफ.आइ.आर. के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।

- ई.डी. ने चार्जशीट में चारों आरोपियों, पदम चंद जैन, संजय बडाय्या, महेश मित्तल व मुकेश पाठक के खिलाफ अवैध तरीके से अपनी फर्मों में 500 करोड़ रुपये जमा करने का आरोप लगाया है।
- ई.डी. का आरोप है कि आरोपियों ने बिल पास कराने और टैंडर हासिल करने और लोक सेवकों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में भारी रिश्वत दी थी।

जिसमें पाया गया कि पदम चंद जैन, महेश मित्तल और पीयूष जैन टैंडर हासिल करने, बिल मंजूर करवाने और लोक सेवकों से अवैध संरक्षण प्राप्त करने के लिए पी.एच.ई.डी. में रिश्वत देने में शामिल थे। आरोपी हरियाणा से

चोरी का माल खरीदने में भी शामिल थे और टैंडर हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। आरोपपत्र में कहा गया है कि पदम चंद जैन और महेश मित्तल सहित आरोपियों से संबंधित फर्मों के बैंक खातों में लगभग 500

करोड़ रुपये जमा हुए थे। उन्हें जो भी पैसा मिला वह पी.एम.एल.ए. अधिनियम के तहत अपराध की आय है। आरोप पत्र में कहा गया कि आरोपी मुकेश पाठक इरकॉन में स्टैनोग्राफर था और उसने मेसर्स गणपति टचयुबवेल और मेसर्स श्याम टचयुबवेल के लिए फर्जी और मनगढ़ंत प्रमाण पत्र बनाए थे। यह दोनों फर्म महेश मित्तल और पदम जैन की हैं। आरोपी संजय बडाय्या निजी टेकेदारों से टैंडर राशि का 2.5 से 3 प्रतिशत तक वसूल कर रहा था। यह राशि टैंडर लेने वाली फर्म को सुविधाएं देने के बदली ली गई थी। उसने आरोपी टेकेदारों महेश मित्तल और पदम चंद जैन से लगभग 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।

जिला न्यायालयों के जज सिर्फ 15 हजार मासिक पेंशन में गुजारा कैसे करें?

नयी दिल्ली, 8 अगस्त (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों को दो जा रही अल्प पेंशन के मुद्दों पर विचार करे।

मुख्य न्यायाधीश डी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 'ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अर्दोनी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे मामले से संबंधित न्यायमित्र के साथ विचार-विमर्श कर इस मुद्दे का हल निकालें।

पीठ ने शीर्ष विधि अधिकारियों अर्दोनी जनरल और सॉलिसिटर से कहा, हम जिला न्यायापालिका के संरक्षक होने के नाते आपसे ऐसा करने (हल) का आग्रह करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि पेंशन संबंधी शिकायतों को लेकर जिला न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के समक्ष कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अर्दोनी जनरल वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल मेहता ने केंद्र का पक्ष रखते हुए पीठ से जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी पहलुओं से संबंधित मामले पर बहस करने के लिए कुछ समय देने की गुहार लगाई। पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों को पेंशन के रूप में केवल 15,000 रुपये मिल रहे हैं। पीठ ने आगे कहा, जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में आते हैं। आम तौर पर उन्हें 56 और 57 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाता है।



पेरिस ओलंपिक्स में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुये जैवलिन श्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मैडल जीत लिया है। नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर का शो फेंककर प्रतियोगिता में दूसरे पायदान पर रहे और भारत के लिए सिल्वर मैडल पक्का किया। नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुये 89.45 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज ने क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर दूर भाला फेंका था। नीरज इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं जिनके नाम ओलंपिक में दो मैडल दर्ज हो गये हैं।

ई.डी. का अधिकारी 20 लाख रु. रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ

नई दिल्ली, 8 अगस्त। सी.बी.आई. ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ई.डी.) के एक सहायक निदेशक को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ई.डी. अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि ई.डी.

अधिकारी को दिल्ली के लाजपत नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। सी.बी.आई. के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने तीन और चार अगस्त को जौहरी के परिसरों पर छापेमारी की थी जिसके बाद सहायक निदेशक संदीप सिंह यादव ने उन्हें 2.5 लाख रुपये न देने पर जौहरी के बेटे को गिरफ्तार करने की कथित तौर पर धमकी

दी थी। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान 20 लाख रुपये की रिश्वत देने पर बात तय हुई। उन्होंने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारी यादव को रिश्वत लेते हुए रूढ़ि हाथ पकड़ लिया गया। सीबीआई को शिकायत मिली और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया गया।

हैदराबाद में नॉन वैज की....

(प्रथम पृष्ठ का शेष) को आबादी का बड़ा तबका नॉन वैज भोजन खाता है। समस्या स्वामी जैसी फूड डिलीवरी ऐप के साथ है जिसके डिलीवरी एजीक्यूटिव ग्राहकों के नॉन वैज ऑर्डर पहुंचाने से इन्कार कर रहे हैं। अगर इस तरह की घटनाएं बड़ी तो यह बड़ी समस्या बन सकता है खासकर अपने लंच ऑर्डर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक कष्टमर है बताया

सरकार अचानक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) देना तथा वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को लाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, तथा इसके साथ ही, क्या यह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की मदद करने का प्रयास है।

मुकेश अंबानी का "एन्टीलिया" वक्फ की जमीन पर ही है, तथा इसी प्रकार, क्या यह अंबानी, जो नेरेन्ड मोदी के अच्छे मित्र हैं, की मदद करने की कोशिश है।

राहुल गांधी ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) लिखा कि साथी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि, राहुल गांधी ने मीटिंग का ब्यौरा नहीं दिया पर उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे तथा कई मसलों पर चर्चा हुई।

गोर्गोई ने प्रश्नकारों को बताया कि बंगलादेश, चीन, सुप्रिम कोर्ट के फैसले व संसद में आज की कार्यवाही पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राहुल ने सांसदों से जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा सदस्यों की मीटिंग हुई। गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक से कुछ दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की थी।

कि कुछ अन्य लोकल कूरियर के डिलीवरी एजीक्यूटिव और डिलीवरी एप भी नॉन वैज फूड के पैकेट ले जाने से इन्कार कर रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय महिला ने बताया कि वह शहर में काम करने वाले अपने बेटे को लंच भेज रही थी और स्वामी के डिलीवरी एजीक्यूटिव ने मना कर दिया कि वह लंच बाक्स नहीं ले जाएं। क्योंकि इसमें चिकन करी है। यहीं नहीं डिलीवरी पार्टनर ने पहले महिला से पूछा टिफिन में क्या है फिर उसने इन्कार कर दिया। पर उसने इतनी मदद अवश्य डिलीवरी की रिक्वेस्ट किसी अन्य को दे दी जिसे नॉन वैज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी।

चिकेन्द्राबाद की एक अन्य महिला को भी ऐसा ही अनुभव हुआ जब एक स्वामी जिनी पार्टनर ने उसका फूड पैकेट ले जाने से मना कर दिया क्योंकि उसमें बिरयानी थी। हैदराबाद में भी कुछ लोगों ने ऐसी

शिकायतें की हैं। आमतौर पर कूरियर करने वाले यह नहीं पूछते हैं कि पैकेट में क्या है पर अब वर्कर्स यूनियन ने भी अपने सदस्यों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे कस्टमर से पूछें कि पैकेट में क्या है ताकि उन्हें ऐसी कोई चीज न ले जाने पड़े जो वे नहीं चाहते हैं।

तेलंगाना गिंग एव् प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन अपने सदस्यों को कह रही है कि पासल स्वीकार करने से पहले उसमें क्या है यह जानना जरूरी है। ट्रेड यूनियन के प्रदाधिकारी ने कहा कि यह जागरूकता जरूरी है ताकि ये लोग "ड्रग ट्रांसपोर्ट" में ना फंसे। पर ऐसे महीनों में जब हिंदू त्यौहार ज्यादा पड़ते हैं तब ये लोग नॉन वैज भोजन के पैकेट लेने से भी इन्कार कर रहे हैं।

एक डिलीवरी एजीक्यूटिव ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अधिकांश को नॉन वैज से कोई फर्क नहीं पड़ता है पर कुछ के साथ निजी समस्याएं हैं और वे इन्कार कर देते हैं।

चंद्रबाबू नायडू के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सम्बन्धित संशोधन लाने की क्षमता नहीं है। कांग्रेस नेता के.सी.वेणुगोपाल ने इस विधेयक को "संविधान पर आधारित हमला बताया, क्योंकि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक मामलों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। राज्य वक्फ बोर्डों तथा केंद्रीय वक्फ परिषद की संचालन समिति के सदस्यों के रूप में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के प्रस्तावित संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुये, वेणुगोपाल ने पूछा: "जब राम मंदिर के निर्माण के लिये कमेटी गठित हुई थी, क्या उस समय गैर-हिन्दुओं को इसका सदस्य बनाया गया था?" उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुये लाया गया है। सुदीप बंदोपाध्याय (टी.एम.सी.) ने कहा

कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो आदेशित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से इन्कार नहीं कर सकता। द्रमुक सांसद कनिमोई ने कहा कि यह विधेयक के निशाने पर अल्पसंख्यक हैं तथा यह उस स्वप्न को नष्ट कर देगा, जो हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिये देखा था। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस विधेयक को अपने कट्टरपंथी समर्थकों को प्रेरित करने के लिये लाई है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पार्टी को धक्का लग चुका है।

किन्तु, अल्पसंख्यक मामलता के मन्त्री अरुणी इस बात पर जमे रहे कि यह विधेयक सामान्य मुस्लिमों को न्याय देने के लिये लाया गया है क्योंकि सरकार को वक्फ सम्पत्तियों के दुरुपयोग के बारे में अनेकानेक शिकायतें मिली हैं।

पैकेज्ड फूड पर वॉर्निंग लेबल्स नहीं होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

याचिका में सभी तरह के पैकेज्ड फूड के फ्रंट पर शुगर और फैट की जानकारी लिखे जाने की मांग की गई है

- याचिका में कहा गया है कि जून 2023 तक, भारत में लगभग 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जबकि 13.6 करोड़ प्रीडायबिटीज से पीड़ित हैं। देश में 31.5 करोड़ लोग हाई ब्ला प्रेशर से और 25.4 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। पैकेज्ड फूड इस तरह की बीमारियों को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं।

सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 अगस्त को होगी। इस पीठ में सोजेआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस

मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। ये याचिका "3एस एंड अवर हेल्थ सोसाइटी" नामक संस्था ने एडवोकेट राजीव शंकर द्विवेदी के माध्यम से दाखिल की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जनहित याचिका में सभी तरह के डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के ऊपर डिटेल्ड लेबल की तत्काल आवश्यकता

पर जोर दिया गया है और मांग की गई है कि पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा को स्पष्ट रूप से उसके डब्बे पर इंगित किया जाय याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की सूचना उपभोक्ताओं को पैकेज्ड खाद्य पदार्थ चुनने में सशक्त बनाएंगे। इससे लोगों में मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों के प्रसार को कम करने में मदद मिल सकेगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी जानकारी डिब्बे के ऊपर होने से मोटापे, उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी जटिलताओं और बीमारियों से जुड़ रहे लोग सचेत हो जाएंगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

'विपक्ष के कई नेता, जो अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कई सांसदों ने मुझे निजी तौर पर बताया था कि वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में है, लेकिन अब वे ही विधेयक का विरोध कर रहे हैं। रिजिजू ने दावा किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक गहन विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। विपक्षी सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि वक्फ विधेयक के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के मसौदे में संविधान के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। संशोधित विधेयक में सेंट्रल वक्फ बोर्ड काजिसल और राज्य वक्फ बोर्डों के विस्तृत संयोजन का प्रस्ताव है तथा इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रकाश के निकायों में मुस्लिम

महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व भी हो। वक्फ (संशोधन) अधिनियम वर्ष 2013 में प्रावधान था कि उपधारा (1) से (8) के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले कम से कम दो सदस्य महिला होंगी चाहिए। नवी विधेयक में भी महिलाओं को सदस्य के रूप में अहमियत दी गई है, लेकिन आगे यह भी जोड़ा गया है कि "वक्फ हलाल औलाद" के निर्माण से तात्पर्य महिलाओं को विरासत के अधिकार से इन्कार करना नहीं है। विधेयक में बोहरा और आगाखानियों के लिए 1 अलग बोर्ड के गठन का प्रावधान है। विधेयक के मसौदे में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी तथा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह परिभाषित करना है कि "वक्फ का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कम से कम पांच साल

से इस्लाम का अनुयायी है तथा इस प्रकार की सम्पत्ति का स्वामित्व उसके पास है। विधेयक का एक उद्देश्य एक सेंट्रल पोर्टल तथा डेटाबेस के माध्यम से वक्फ कार रजिस्ट्रेशन करना है। किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रिकॉर्ड करने की पूर्व सभी संबंधित पक्षों को न्यायनंतरण के लिए राज्य कानूनों के अनुसंधान उचित नोटिस देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वर्ष 1995 का वक्फ अधिनियम किसी "वाकिफ" द्वारा दी गई "ऑकफ" (दान की गई एवं वक्फ के रूप में अधिभूचित की गई सम्पत्ति) के नियमितकरण को लेकर लाया गया था। वाकिफ उस व्यक्ति को कहते हैं जो मुस्लिम कानून के अन्तर्गत धार्मिक अथवा दान योग्य के रूप में प्राधिकृत किसी सम्पत्ति को समर्पित करता है। अधिनियम में अंतिम बार वर्ष 2013 में संशोधन किया गया था।

कालाडेरामें लोहा ढलाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जयपुर से एफ.एस.एल की टीम ने भी फैक्टरी में घटना स्थल से सैम्पल लिए हैं। विधायक डॉ. शिखा मील बराला, चौमू उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह व पूर्व विधायक रामलाल शर्मा आदि ने चौमू शहर के निजी अस्पताल में इलाज करावा रहे हैं। बारह घायलों का चौमू के निजी अस्पतालों घायलों से मिलकर हर संभव इलाज का आश्वासन दिया।

जानकारी के अनुसार, घायलों में श्यामलाल पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, नानूराम पुत्र प्रभुदयाल निवासी हाथनोदा, सुरेश कुमार पुत्र नारायण लाल निवासी हाथनोदा थाना सामोद, चौधूराम पुत्र हरदेव निवासी खोराबिसद थाना मुस्लीपुर जयपुर शहर, अशोक चौधरी पुत्र फूलचंद निवासी खोराबिसद, बबलू यादव पुत्र जयप्रकाश निवासी बिहार राज्य, विनोद पुत्र सुवालाल निवासी बिहार राज्य, विनोद पुत्र सुवालाल निवासी धानोता थाना अमरसर, मदन पुत्र राजेन्द्र कुशवाह निवासी धौलपुर, नेमोचंद पुत्र रोशन लाल कुशवाह निवासी धौलपुर, प्रमोद कुमार पुत्र द्वारिका निवासी बिहार राज्य, निखिल कुमार निवासी बिहार राज्य, बहादुर पुत्र देवनारायण निवासी नेपाल, प्रकाश चन्द दुसाद पुत्र भगवान सहाय

निवासी नांगल भरडा थाना सामोद, ओमप्रकाश पुत्र रघुनाथ कुशवाह निवासी बिहार राज्य, निलेश कुमार पुत्र कमलेश सिंह कुशवाह निवासी बिहार राज्य तथा अजय शंकर, प्रियंका, चुनचुन, गरुवन शामिल हैं, जिनमें से सात घायलों का जयपुर के एम.एम.एस. अस्पताल में इलाज चल रहा है। बारह घायलों का चौमू के निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुत्रोहित, जयपुर ग्रामीण एस.पी. शंतनु कुमार सिंह, चौमू उपखण्ड अधिकारी दिलीप सिंह, जयपुर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद सोमानी, गोविन्दगढ़ डी.वाई.एस.पी. राजेश कुमार जांगिड़, तहसीलदार डॉ. विजयपाल तथा कालाडेरामा प्रभारी सहित, कई प्रशासनिक अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। कहा जा रहा है कि कालाडेरामा रीको औद्योगिक क्षेत्र में अधिकांश फैक्ट्रियों में सुरक्षा उपकरणों की कमी है। जानकारी के अनुसार कालाडेरामा रीको औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 300 इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें से अधिकांश फैक्ट्रियों के पास तो फायर अल.सी.सी. भी नहीं है।